न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

प्रकरण संख्या 29 / 2031(2031 / 106)

1. मैसर्स बिसुन्दनी मिनरल्स माईन्स बिसुन्दनी जरिये भागीदार सुरेश कुमार पुत्र श्री सुवालाल जाति मीणा निवासी ग्राम रारसियां तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा।

---प्रार्थी

बनाम

1. प्रेम कंवर पत्नी श्री भंवरसिंह
2. किशोर सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
3. जयसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बिसुन्दनी तहसील सावर जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील सावर जिला अजमेर।
5. भगवान सिंह पुत्र श्री शंकरसिंह जाति राजपूत निवासी बिसून्दनी तहसील सावर जिला अजमेर।
6. प्रभाकिरण पुत्र श्री रूपसिंह जाति राजपूत निवासी बिसून्दनी तहसील सावर जिला अजमेर।
7. बलवीर सिंह पुत्र श्री बालसिंह जाति राजपूत निवासी बिसून्दनी तहसील सावर जिला अजमेर।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित:–

1. **शैलेन्द्र सिंह राठौड–प्रार्थी वकील**
2. **भंवर लाल शर्मा–वकील अप्रार्थी**

–:: आदेश ::– **दिनांक– 3.06.2022**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया प्रार्थी का निवेदन संक्षेप मे निम्न प्रकार है कि प्रार्थी आराजी ग्राम बिसुन्दनी तहसील सावर जिला अजमेर के जमाबंदी सवत् 2073–2076 के अनुसार आराजीयात निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टर)	किस्म
381–215	1270	0.24	बारानी 3
	1271	0.05	बारानी 3
	कुल किता 2	कुल रकबा 0.29	
382–212	1272	0.08	बारानी 3
	1274	0.04	बारानी 3
	2311 / 1269	0.26	चाही 1
	कुल किता 3	कुल रकबा 0.38	
383–212	3179 / 1282	0.36	चाही 1
	कुल किता 1	कुल रकबा 0.36हैक्टर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.08.04 13:45:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में कुल रका 1.03 हैक्टर है तथा मौके पर भी 1.03हैक्टर पर ही प्रार्थी का कब्जा काश्त स्वामित्व है किन्तु राजस्व ट्रेस नक्शे से मौके का मिलान करने पर पता चला कि भूमि राजस्व नक्शा ट्रेस मे भूमि 0.92 हैक्टयर ही आ रही है। प्रार्थी ने आसपास की समस्त भूमियो के नक्शा ट्रेस की मौके से जानकारी की तो पता चला कि प्रार्थी की उक्त भूमि सटाकर स्थित भूमि खसरा संख्या 1267 की तरफ कम है तथा 0.11 हैक्टयर के लगभग खसरा संख्या 1267 की तरफ बढ़ती है तब राजस्व नक्शे मे जमाबन्दी के व मौके के मुताबिक भूमि पूर्ण होती है। उक्त भूमि खसरा संख्या 1267 की जमाबन्दी प्राप्त करने पर पता चला कि उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के नाम दर्ज चली आ रही है जिनसे संपर्क कर दुरूस्ती की सहमति देने हेतु कहा तो उन्होंने इंकार कर दिया इस कारण यह दुरुस्ती का प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ । प्रार्थी की भूमि वर्तमान नक्शा ट्रेस मे रकबा कम होने से दुरूस्त किया जाकर भूमि खसरा संख्या 1267 की तरफ बढाया जाकर दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थी का नक्शा दुरूस्त किये जाने पर राज्यहित पर तथा किसी अन्य व्यक्ति के विशेष हित पर किसी प्रकार का विपरित प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नही है । प्रार्थी की उक्त भूमि का नक्शा छोटा होने से अनेकानेक कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है इस कारण नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 1267 की तरफ 0.11 हैक्टयर भूमि सम्मलित की जाकर नक्शा ट्रेस दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में हल्का पटवारी गिरदावर की रिपोर्ट तलब फरमाकर उक्त खसरा संख्या 1270,1271,1272,1274,2311/1269,3179/1282 कुल रकबा 1.03हैक्टर के नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जाकर उक्त भूमि के नक्शा ट्रेस में कम पड रहे रकबे को सटाकर स्थित भूमि खसरा संख्या 1267 की तरफ दुरूस्त कराने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्जर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 की ओर से सम्पर्क नही होने व उपस्थित नही होने पर उनक एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार सावर द्वारा जॉच रिपार्ट उनके पत्र कमांक न्याय/रीडर/2021/1663 दिनांक 15.7.2021 से प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त रिपोर्ट निम्नानुसार है–

उक्त प्रकरण में बिसुन्दनी मिनरल्स माईन्स बिसुन्दनी भागीदार सुरेश कुमार व अन्य बनाम प्रेमकंवर पत्नि भंवरसिंह व अन्य में प्रार्थना पत्र की जांच भू.अ.निरीक्षक पिपलाज व पटवार हल्का बिसुन्दनी द्वारा करवाई गई जिसमे ग्राम बिसुन्दनी के वर्किंग नक्शा व वर्तमान नक्शा व मिलान क्षेत्रफल के आधार पर तुलना करने पर वर्किंग जमाबदी के खसरा संख्या 633 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा के नये खसरा नंबर 1265/0.24, 1266/0.07, 1267/0.40, 1270/0.24, 1271/0.05, 1272/0.08 किता 06 रकबा 1.08 हैक्टर बने है व खसरा संख्या 1267/0.40, के दो टुकडे हो गये जो की खसरा नंबर 1267/0.15, 2315/1267 रकबा 0.25 बने। हाल खसरे का वर्किंग नक्शे से रकबा बरारी करने पर खसरा नंबर 1266/0.07, 1267/0.15, 2315/1267 रकबा 0.25, 1271/0.05, 1272/0.08 [illegible] बडा बना हुआ है व खसरा नंबर 1270/0.24 का नक्शा 0.08 हैक्टर कम बना हुआ है [illegible] दोनो खसरो के मध्य 2315/1267 रकबा 0.25, 1267/0.15, 1266/0.07 स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Ranchod
Date: 2022.08.04 13:45:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

अतः खसरा नंबर 1270/0.24 के रकबा अनुसार करने पर उक्त मध्य के तीनो खसरा नंबर की तरमीम प्रभावित होगी। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खसरा नंबर 1265/0.24 मानकवंर पत्नी माधो सिंह राजपूत साकिम बिसून्दनी खातेदार के नाम दर्ज है व खसरा नंबर 2315/1267 रकबा 0.25 भगवान सिंह पुत्र शंकरसिंह राजपूत सा. बिसुन्दनी खातेदार का नाम दर्ज है। व खसरा नंबर 1267/0.15 किशोरसिंह, जयसिंह, पिता भंवरसिंह प्रेमकंवर पत्नी भंवरसिंह राजपूत साकिम बिसुन्दनी खातेदार का नाम दर्ज है व खसरा नंबर 1266/0.07 गै.मु. रास्ता भंवरसिंह पुत्र शंकरसिंह राजपूत सा. बिसुन्दनी खातेदार का नाम दर्ज है। व खसरा नंबर 1270/0.24 मैसर्स बिसुन्दनी मिनरल्स माईन्स बिसुन्दनी जरिये आम मुख्तार एवं भागीदार सुरेश कुमार पुत्र सुवालाल जाति मीणा सा. जहाजपुर खातेदार का नाम दर्ज है।

अतः वर्किंग नवशा अनुसार वर्तमान नक्शे में परिवर्तन करने हेतु खसरा नंबर 1265/0.24 व 1270/0.24 के मध्य के तीनो खसरो 1266/0.07, 1267/0.15, 2315/1267 रकबा 0.25 हैक्टर की तरमीम प्रभावित करते हुए किया जा सकता है।

तहसीलदार सावर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, वर्किंग नवशा ट्रेस, मिलान क्षेत्रफल, वर्तमान जमाबंदी, वर्तमान नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को सुना गया। पैरोकार सरकार को प्रश्नगत प्रकरण पर सुना गया। प्रस्तुत मौका पर्चा में अंकित नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सावर की रिपोर्ट के आधार पाया गया कि खसरा नंबर 1265/0.24 का नक्शा 0.08हैक्टर बडा बना हुआ है व खसरा नंबर 1270/0.24 का नक्शा 0.08हैक्टर कम बना हुआ है उक्त दोनो खसरो के मध्य 2315/1267 रकबा 0.25, 1267/0.15, 1266/0.07 स्थिति है वर्तमान नक्शे मे परिवर्तन करने हेतु खसरा नंबर 1265/0.24 व 1270/0.24 के मध्य के तीनो खसरो 1266/0.07, 1267/0.15, 2315/1267 रकबा 0.25हैक्टर की तरमीम प्रभावित होती है अतः तहसीलदार सावर की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम बिसुन्दनी के खसरा नंबर 1270/0.24 व 1265/0.24 की तरमीम दुरूस्ती व इनसे प्रभावित खसरा संख्या 2315/1267, 1267, 1266 की तरमीम दुरूस्ती मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिया जाता है तहसीलदार सावर राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में अमलदरामद की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला-अजमेर राजस्थान

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी, (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.08.04 13:45:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner